न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 41/2021

अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र नंदराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. सन्दीप कुमार पुत्र हरपतसिंह जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा।
2. अमित कुमार पुत्र हरपतसिंह जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा।
3. नंदराम पुत्र हरपत सिंह जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता सायल

निर्णय दिनांक: 03/09/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के ख.न. 76 मीन में कुल 221 बीघा 8 बिस्वा भूमि थी। जिसके जयकरण वल्द सुखराम खातेदार काश्तकार थे। वाद भूमि सम्वत 2012 से 2015 में रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 99/100 के ख.न. 76 मीन में 221 बीघा 8 बिस्वा भूमि कच्चे बीधा अर्थात खाम भूमि उदमीराम व हरदत पि. जयकरण के नाम दर्ज हुई तथा गैरसायल सं. 1 के कर्ता खानदान होने से रोही मौजा दलपतपुरा के खाता सं. 151/155 के ख.न. 190/1 की 8.5300 हैक्टर भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज करवाली है। उक्त भूमि में वादी के पड़दादा जयकरण वल्द सुखराम की अर्जित भूमि है जो हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है जिसमें गैरसायल सं. 3 के सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण कोपार्सनर है तथा वाद भूमि पैतृक भूमि है जिसमें उनका पैदायशी हक व हिस्सा है।

उक्त भूमि गत पैमाईश भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नाहेर के साबिका ख.न. 76 मिन से हाल ख.न. 190, 191 व 192 में तब्दील व पैमुद हो गई जो ख.न. 190 में 39 बीघा 12 बिस्वा ख.न. 191 में 40 बीघा 6 बिस्वा ख.न. 192 में 24 बीघा 9 बिस्वा भूमि में परिवर्तित व पैमुद हो गई रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 151/155 के ख.न. 190/1 की 8.5300 हैक्टर भूमि गैरसायल सं. 1 ने अपने अकेले के कर्ता खानदान होने के नाते दर्ज करवा ली जबकि वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है उक्त भूमि में सायल व दावा में दर्ज तरतीबी [illegible] व प्रतिवादीगण सं. 8 व 9 सयुक्ततः व गैरसायल सं. 3 ब. हि.ब. के खाते[illegible] भूमि में 1/6 हिस्सा दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी सं. [illegible] प्रतिवादी सं. 6 [illegible]6 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 7 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 8 [illegible] सयुक्ततः 1/6 हिस्[illegible] गैरसायल सं. ३ का 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। अर्थात सायल व दावा में दर्ज तरतीबी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:25:48 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण सं. 5 ता 7 व प्रतिवादीगण सं. 8 व 9 सयुक्ततः व गैरसायल सं. 3 के प्रत्येक के अलग–अलग 1.4216 हैक्टर भूमि हिस्से में आई जिसके वे खातेदार काश्तकार है। गैरसायल सं. 3 ने उपरोक्त वाद भूमि में से 11 बीघा अर्थात 2.783 हैक्टर भूमि गैरसायलान सं. 1 ता 2 को दिनांक 06/8/2002 को बैय कर दी जबकि गैरसायल सं. 1 के हिस्से में 1.4216 हैक्टर भूमि ही आती है गैरसायल सं. 3 ने 1.3613 हैक्टर भूमि गैरसायलान सं. 1 ता 2 को अपने हक व हिस्सा से अधिक भूमि का बैयनामा करवा दिया है जबकि उक्त 1.3613 हैक्टर भूमि की हरदत तक वैयनामा दिनांक 6/8/2002 शुरू से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है तथा 1.3613 हैक्टर भूमि की हद तक इग्नोर किये जाने योग्य है। क्योंकि 1.3613 हेक्टर भूमि में सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 7 व प्रतिवादीगण सं. 8 व 9 सयुक्ततः ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। तथा गैरसायल सं. 3 का वाद भूमि में अब कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है क्योंकि गैरसायल सं. 3 ने अपना हक व हिस्सा यानि 1.4216 हैक्टर भूमि गैरसायल सं. 1 व 2 को बैय कर दिया इस प्रकार वाद भूमि 7.1084 हैक्टर भूमि शेष रही में सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 7 व प्रतिवादीगण सं 8 व 9 सयुक्ततः ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है तथा गैरसायलान सं. 1 व 2 का 1.4216 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा गैरसायल सं. 3 का अब कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है। वाद भूमि गैरसायल सं. 3 ने गैरसायलान सं. 1 व 2 को 1.4216 हैक्टर भूमि के स्थान पर 2.783 हैक्टर भूमि बैय कर दी है जबकि गैरसायल सं. 3 भूमि अपने हक व हिस्सा से अधिक अनुचित व गलत तरीके से बैय कर दी जबकि उक्त भूमि पैतृक है पैतृक भूमि में कानूनी तौर से हक व हिस्से से अधिक भूमि का बैचान शुरू से ही शुन्य व निष्प्रभावी है। तथा उक्त बैयनामा दिनांक 6/8/2002 हक व हिस्से से ज्यादा भूमि का नुमाईशी व शुरू से ही शुन्य है तथा गैरसायलान सं. 1 व 2 का 1.3613 हैक्टर भूमि अपने नाम पैतृक भूमि में गैरसायल सं. 3 से उसके हक व हिस्से से ज्यादा का वैयनामा कतई गलत तौर से करवा लिया गैरसायलान सं. 1 व 2 उक्त भूमि जो 1.3613 हैक्टर भूमि सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 7 व प्रतिवादीगण सं. 8 व 9की सयुक्त तौर से ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है को अपने नाम गैरसायलान सं. 1 व 2 दर्ज करवाने पर आमादा है। तथा गैरसायलान सं. 1 व 2 का 1.3613 हैक्टर भूमि का नामान्तरण करवाने पर आमादा है। तथा सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 7 व प्रतिवादीगण सं. 8 व 9 सयुक्ततः ब.हि.ब. की खातेदारी भूमि गैरसायलान सं. 1 व 2 कुल 2.783 हैक्टर भूमि अपने नाम नामान्तरण करवाने पर आमादा है। जबकि वे 1.4216 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार है। जबकि 1.3613 हैक्टर भूमि के नही है। इसके अतिरिक्त गैरसायल सं. 3 वाद भूमि अपने नाम अकेले के दर्ज होने का अनुचित फायदा उठाकर रहन / बैय करने पर आमादा है परन्तु गैरसायल सं. 3 अपने हक व हिस्से की भूमि बैंय कर चुका है अब उसका वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है। तथा पैतृक भूमि जो सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 7 व प्रतिवादीगण सं. 8 व 9 सयुक्ततः ब.हि.ब. की खालेदार काश्तकार है को गैरसायलान सं. 1 ता 3 को वादी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रहन / बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध करापाने का मजाज है।

तािफैसला दावा गैरसायलान के खिला[illegible]मर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के [illegible] 190/1 की 8.5300 हैक्टर भूमि में से 7.1084 हैक्टर भूमि जो [illegible] दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 7 व प्रतिवादीगण सं. 8 व 9 सयुक्ततः ब.हि.ब. के खातेदा[illegible] भूमि है जिसके वे खातेदार काश्तकार है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:25:48 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

को गैरसायलान सं. 1 ता 3 रहन/बैय व मुन्तकिल ना करे कोई दस्तावेज नामान्तरण दर्ज आदि करने से निषिद्ध रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की तरफ से अधिवक्ता श्री माडूराम उपस्थित। जवाब हेतु बार बार मौका देने पर भी जवाब पेश नही किया इसलिए जवाब बंद किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:—

1. प्रथम दृष्टया मामला :— प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज हैं एवं पूर्व में अप्रार्थी स0 1 के पिता व प्रार्थी के दादा नंदराम के नाम दर्ज रही है और उनके बाद सायल के पिता यानि की अप्रार्थी संख्या 1 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी स0 3 ने पैतृक भूमि होने के बावजूद भी अपने हक हिस्सा से ज्यादा भूमि का अप्रार्थी स0 1 ता 2 को जरिये बैयनामा बैय कर दिया है उक्त बिन्दु मूल वाद में तय होना है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 3 यानि की प्रार्थी के पिता केक नाम दर्ज है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>— सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में [illegible] हक व हिस्सा है।। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में है ऐसी स्थिति में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:25:48 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 151/155 की कुल 8.5300 हैक्ट भूमि में से प्रार्थी के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 03/09/2025 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:25:48 IST
Reason: SelfAttested